Subject : **RESERVATION**

Reservation of posts for the persons of reserved categories in the universities/boards/corporations, cooperative institutions submission of quarterly report.

क्या—

1. वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग ।
2. सचिव, हरियाणा सरकार, डायरी विकास विभाग ।
3. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग ।
4. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग ।
5. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जातियां पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ।
6. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग ।
7. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी सम्पदा विभाग ।
8. सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य एवं पूर्ति विभाग ।
9. आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग ।
10. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, आवास विभाग ।
11. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग ।

इस विभाग के अशा: क्रमांक 22/43/80-3 जी. एस. III, दिनांक 17.6.80 की ओर ध्यान देंगे ।

2. इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वे अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली निगमों/बोर्डों/विश्वविद्यालयों इत्यादि में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अंगहीन व्यक्तियों को सरकार की निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार नियुक्तियां करवाना सुनिश्चित करें तथा इस बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न प्रोफार्मा में इस विभाग को प्रत्येक त्रैमाही के समाप्त होने के 20 दिन के अन्दर अन्दर अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें । अतः उन से अनुरोध

है कि कृपया इस निर्णय के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही तुरन्त की जाए । 31.12.80 को समाप्त होने वाली त्रिमाही की रिपोर्ट 15-2-81 तक अवश्य भेज दी जाए।

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग ।
2. सचिव, हरियाणा सरकार, डायरी विकास विभाग ।
3. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग ।
4. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग ।
5. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ।
6. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग ।
7. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी सम्पदा विभाग ।
8. सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग ।
9. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग ।
10. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, आवास विभाग ।
11. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग ।

अशा: क्रमांक 22-3-81-3 जी. एस. III दिनांक, चंडीगढ़ 2-2-1981.

एक प्रति, संलग्नक की प्रति सहित, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार स्थानीय प्रशासन विभाग को इस विभाग के अशा: क्रमांक 22/43/80-3 जी.एस. III दिनांक 17.6.80 के संदर्भ में भेजी जाती है।

2. उनसे अनुरोध है कि उनके अधीन आने वाली नगरपालिकाओं आदि के बारे सूचना, संलग्न प्रोफार्मा में, इक्टठी करके इस विभाग को प्रत्येक त्रैमाही के समाप्त होने के 20 दिन के अन्दर-2 अवश्य भेजी जाया करें। 31-12-80 को समाप्त होने वाली त्रैमाही की रिपोर्ट 15-2-81 तक अवश्य भेजी जाए।

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्थानीय प्रशासन विभाग।

अशा : क्रमांक 22-3-81-3 जी. एस. III दिनांक 2.2.1981.

एक प्रति वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सहकारी समितियां विभाग को इस विभाग के अशा: क्रमांक 22/43/80-3 जी.एस. III, दिनांक 17.6.80 के संदर्भ में भेजी जाती है।

2. उनसे अनुरोध है कि उनके अधीन आने वाली सरकारी संस्थाओं आदि के बारे सूचना, संलग्न प्रोफार्मा में इक्टठी करके इस विभाग को प्रत्येक त्रैमाही के समाप्त होने के 20 दिन के अन्दर-2 अवश्य भेजी जाया करे। 31-12-80 को समाप्त होने वाली त्रैमाही की रिपोर्ट 15.2.81 तक अवश्य भेजी जाए।

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सहकारी समितियां विभाग।

अशा: क्रमांक 22/3/81-3 जी.एस. III दिनांक 2-2-1981.

एक प्रति आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग को इस विभाग के अशा: क्रमांक 22/43/80-3 जी.एस. III, दिनांक 17-6-80 के संदर्भ में भेजी जाती है।

2. उनसे अनुरोध है कि उनके अधीन आने वाले पंचायत समितियों आदि के बारे सूचना संलग्न प्रोफार्मा में इक्टठी करके प्रत्येक त्रैमाही के समाप्त होने के 20 दिन के अन्दर-2 अवश्य भेजी जाया करें। 31-12-80 को समाप्त होने वाली त्रैमाही की रिपोर्ट 15-2-81 तक अवश्य भेज दी जाए।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

अशा: क्रमांक 22/3/81-3 जी.एस. III दिनांक 2-2-1981.

पृ क्रमांक 22/3/81-3 जी.एस. III दिनांक

एक प्रति,संलग्नक की प्रति सहित, हरियाणा सरकार के सभी निगमों/बोर्डों इत्यादि के प्रबंधक निदेशकों तथा विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को अवश्य कार्यवाही के लिए भेजी जाती हैं। कृपया अपेक्षित त्रैमासिक रिपोर्ट हर त्रैमाही की समाप्ति पर अपने प्रशासकीय विभाग को बिना विलम्ब भेजी जाया करें।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

Name of the Board/

Statement showing the position regarding reservation of Posts for

Class of post, (Class I, II, III IV	Number of employees Categorywise at the beginning of the Quarter.					
	Scheduled Castes	Back-ward Classes	Ex-ser-vicemen.	Phy-sical-ly hand-icapped.	Gene-ral cate-gory.	To tal
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	2					
Class I						
Class II						
Class III						
Class IV						

Note :—The post/vacancies held or filled by the dependents of Column but included under column 2 (c) and colum 4

Corporation s etc———

persons of reserved categories for the quarter ending————

Total number of posts/ vacancies which occured during the quarter under report.	Number of posts/ vacancies filled during the quarter under report by persons of each category.					Remarks.
—	S.C.	B.C.	Ex. Ser-vic-men.	Phy-sically hindi. capped.	Genl. Cate-gories	Total
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
3			4			5

ex-servicemen should be indicated in the Remarks.

(c)